

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फारट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
तीठारसीन अधिकारी- श्रीमति स्वाति गुप्ता, आर.प.एस.

वादपत्र संख्या 005/2024  
अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती चंद्रकला पत्नी श्री अजय कुमार जांदु जाति जाट उम्र 40 वर्ष निवासी  
33/16, मोटर मार्केट, सूरतगढ़ रोड श्रीगंगानगर (राज0) .....वादि्या

बनाम

1. श्रीमती रवीना पत्नी श्री सुधीर कुमार जाति जाट निवासी मकान नम्बर 03,  
वार्ड नम्बर 30, यूआईटी के पास, रासरवती नगर, श्रीगंगानगर (राज0)
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरंगराम जाति जाट निवासी शिवपुरफतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर(राज0)
3. सिद्धार्थ पुत्र श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व  
श्रीगंगानगर (राज0)
4. धर्मपाल पुत्र श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. विद्या देवी पत्नी श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. सुभाष पुत्र श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्थ) श्रीगंगानगर (राजस्थान)  
.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी, एडवोकेट, .....वादि्या
2. श्री विजय कुमार भाटी एडवोकेट .....प्रतिवादी सं. 1, 4, 5  
व 6 की ओर से
3. पैरोकार राज .....प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक:- 25.02.2025

—:: निर्णय —::

वादि्या द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक्रवर्ती पालक दण्डनाथ  
ई बड़ी, पटवार हल्का शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमावन्दी (देक) श्रीगंगान  
अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमावन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019)  
से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुख्या नम्बर 7, 11, 30, 52/16  
52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर { 9.744 है. नहरी + 0.101 है. खाला  
0.252 है. गै. मु. खाला } कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक में से वादि्या चंद्रकला  
पत्नी अजय कुमार जांदु के नाम 1264/10097 हिस्सा यानि 1.264 है. एवं  
प्रतिवादी संख्या 01 रवीना पत्नी सुधीर कुमार के नाम 1264/10097 हिस्सा  
यानि 1.264 है., प्रतिवादी संख्या 02 सुरेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगराम के नाम  
2516/10097 हिस्सा यानि 2.516 है., प्रतिवादी संख्या 03 सिद्धार्थ पुत्र सुरेन्द्र  
के नाम 110/439 हिस्सा यानि 2.530 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 04 धर्मपाल पुत्र  
मदनलाल के नाम 1239/10097 हिस्सा यानि 1.239 है., प्रतिवादी संख्या 05  
विद्यादेवी पत्नी मदनलाल के नाम 45/10097 हिस्सा यानि 0.045 है., प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर एवं  
चक्रवर्ती पालक दण्डनाथ



संख्या 06 सुभाष पुत्र मदनलाल के नाम 1239/10097 हिस्सा यानि 1.239 है.  
 कृषि भूमि जमावन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। वादिया एवं प्रतिवादी  
 संख्या 01 से 06 के नाम उक्त मद में वर्णित अनुसार चक 4 ई बड़ी के खाता  
 संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097  
 हेक्टेयर नहरी मय खाला, गै.मु. खाला कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। भूमि संयुक्त  
 खाता की होने के बावजूद तमाम पक्षकारान ने काश्त की सहूलियत के लिहाज  
 से पृथक-पृथक भूमि की पृथक-पृथक काश्त की सहूलियत के लिहाज  
 है-चंद्रकला पत्नी श्री अजय कुमार जांडु जाति जाट निवासी 33/18 मोटर  
 मार्केट, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 4 ई बड़ी	79	30	3(0.096 है. पूर्वी हिस्सा), 4(0.228 है.), 5(0.013 है. पश्चिमी हिस्सा), 6(0.012 है. पश्चिमी हिस्सा), 7(0.253 है.), 8(0.107 है. पूर्वी हिस्सा), 13(0.253 है.), 14(0.253 है.), 15(0.0114 है. उत्तरी पश्चिमी कोना)	1.2264 है. नहरी
		52/16	0.038 है. गै. मु. खाला	0.038 है. गै. मु. खाला
कुल योग 1.2644 है. (1.2264 है. नहरी + 0.038 है. गै. मु. खाला)				

रवीना पत्नी श्री सुधीर कुमार 1.264 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगराम 2.5156 है.,  
 सिद्धार्थ पुत्र सुरेन्द्र 2.530 है. धर्मपाल पुत्र मदनलाल 1.239 है., विद्यादेवी पत्नी  
 मदनलाल 0.045 है., सुभाष पुत्र मदनलाल 1.239 है. जाति जाट निवासीयान  
 शिवपुर फतूही तह. श्रीगंगानगर (राज0)

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 4 ई बड़ी	79	7	1(0.253 है.), 7/1(0.202 है.), 7/2(0.051 है. खाला), 8/1(0.228 है.), 8/2(0.025 है. खाला), 9, 10(प्रत्येक में 0.253 है.), 11 से 14(प्रत्येक में 0.228 है.), 15/1(0.203 है.), 15/2(0.025 है. खाला), 16 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.)	4.935 है. (4.834 है. नहरी + 0.101 है. खाला)
		11	17/2(0.101 है.), 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(0.228 है.), 21(0.202 है.), 22 से 24 (प्रत्येक में 0.228 है.), 25/1(0.076 है.)	1.797 है. नहरी
		30	1(0.202 है.), 2(0.228 है.), 3(0.132 है. पश्चिमी हिस्सा), 5(0.215 है. पूर्वी हिस्सा), 6(0.241 है. पूर्वी हिस्सा), 8(0.146 है.)	1.8866 है. नहरी

सहायक क  
 कार्यापालक  
 (फास्ट ट्रेक)

		पश्चिमी हिस्सा), 9(0.253 है.), 10(0.228 है.), 15(0.2416 है. उत्तरी पश्चिमी कोना को छोड़कर शेष हिस्सा).	
	52/8	0.126 है. गै. मु. खाला	0.126 है. गै. मु. खाला
	52/16	0.088 है. गै. मु. खाला	0.088 है. गै. मु. खाला
कुल योग 8.8326 है. (8.5176 है.नहरी + 0.214 है.गै.मु. खाला+0.101 है.खाला)			

वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 पारस्परिक सहमति से किए गए बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आने से पक्षकारान को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है संयुक्त खाता में संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण, वादिया को पूर्ण रूप से मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादिया उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकती है, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटलशैड आदि की सुविधाओ से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने में भी वंचित हो रहे है इसके अलावा भूमि के लगान के बंटवारे, पानी की पृथक बारी की बाबत व खिंचाई-भराई की बाबत तथा भूमि की पैदावार बाजार में राज्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने व अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्य में भूमि के संयुक्त होने से वादिया व प्रतिवादीगण को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और भूमि सुधार विभाजन करवाकर व इसके लगान का वितरण करवाकर भूमि अपने हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त अनुसार पृथक कब्जा प्राप्त करने तथा बंटवारा अनुसार वादिया को प्राप्त हुई कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 06 का संयुक्त खाता में दर्ज हिस्सा बैंक के पक्ष में रहन है चूंकि वादिया अपने हिस्सा अनुसार अपनी काश्त को अलग करवाने का अनुतोष चाहते है बैंक के पक्ष में उक्त रहन/बन्धक रखा गया हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा प्रत्येक पक्ष अपने द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है जिसकी बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है इसलिए उक्त सहखातेदारान द्वारा बन्धक रखे गये बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 07 सम्बन्धित भूमि का लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया। वादिया ने पारस्परिक सहमति से हुए विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतू प्रतिवादीगण को दिनांक 08/01/2024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने टाल मटोल करते हुए इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुख्यास्मत है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 4 ई बड़ी उप तहसील हिन्दुमलकोट में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादिया का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :- (क) कि चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर { 9.744 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.252 है. गै. मु. खाला} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार विभाजन किया जाकर उक्त अनुसार अलग अलग लगान कायम किया जावे ।

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यालयक दण्डनायक  
(कै. ट्रेक) श्रीगंगानगर

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग-अलग लगान कायम किया जावे।  
(ग) वादिया को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।  
(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादिया के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 04, 05 व 06 की ओर से विजय कुमार भाटी एडवोकेट उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को सम्मन की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 30/09/2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती रवीना ने जवाब वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुए काऊन्टर क्लेम पेश करते हुए चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर { 9.744 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.252 है. गै. मु. खाला } कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25/1 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा = 0.038 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1(0.202 है.), 2(0.228 है.), 3(0.132 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 8(0.146 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 9(0.253 है.), 10(0.228 है.) = 1.189 है. नहरी मुरब्बा नम्बर 52/16 की 0.063 है. गै.मु. खाला कुल 1.290 है. (1.227 है. नहरी + 0.063 है. गै.मु.खाला) कृषि भूमि रवीना पत्नी श्री सुधीर कुमार जाति जाट निवासी मकान नम्बर 03, वार्ड नम्बर 30, यूआईटी के पास, सरस्वती नगर श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 04 धर्मपाल, प्रतिवादी संख्या 05 विद्यादेवी, प्रतिवादी संख्या 06 सुभाष ने जरिये अधिवक्ता जवाब वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुए काऊन्टर क्लेम पेश करते हुए चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर { 9.744 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.252 है. गै. मु. खाला } कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 7/1(0.202 है.), 7/2(0.051 है. खाला), 8/1(0.228 है.), 8/2(0.025 है. खाला), 9, 10(प्रत्येक में 0.253 है.), 11 से 14(प्रत्येक में 0.228 है.) 15/1(0.203 है.), 15/2(0.025 है. खाला), 16(0.013 है. उतरी हिस्सा), 17(0.012 है. उतरी हिस्सा), 18(0.013 है. उतरी हिस्सा), 19(0.012 है. उतरी हिस्सा), 20(0.013 है.उतरी हिस्सा) = 2.468 है. {2.367 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.001 है. उतरी हिस्सा) दक्षिणी पश्चिमी खाला), मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 15 की 0.0016 है. दक्षिणी पश्चिमी कोना), व मुरब्बा नम्बर 52/8 की 0.126 है. गै.मु. खाला कुल 2.5956 है. (2.367 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.126 है. गै.मु. खाला) कृषि भूमि में धर्मपाल पुत्र मदनलाल 1.275 है., विद्यादेवी पत्नी मदनलाल 0.045 है., सुभाष पुत्र मदनलाल 1.2756 है. जाति जाट साकिन शिवपुर फतूही तह. श्रीगंगानगर (राज0) का अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया।

दिनांक 10.12.2024 को स्टेट जवाब पेश हुआ, स्टेट जवाब में अंकित कथनानुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है, राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

अधिवक्तागण द्वारा पस्तत बहस सुनी गई।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बहस सुनने के पश्चात वकील वादीगण के निवेदन पर वाद वादीगण की बहस सुनने के स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर द्वारा जरिये कमांक भू.अ./959 दिनांक 18.02.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

**---: आदेश :-**

अतः वाद वादिया एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 01, 04 से 08 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्बत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्बत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर { 9.744 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.252 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3(0.096 है. पूर्वी हिस्सा), 4(0.228 है.), 5(0.013 है. पश्चिमी हिस्सा), 6(0.012 है. पश्चिमी हिस्सा), 7 (0.253 है.), 8(0.107 है. पूर्वी हिस्सा), 13(0.2514 है.), 14(0.253 है.), 15(0.013 है. पश्चिमी हिस्सा) = 1.2264 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.038 है. गै. मु. खाला कुल 1.2644 है. (1.2264 है. नहरी + 0.038 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि वादिया श्रीमती चंद्रकला पत्नी श्री अजय कुमार जांदु जाति जाट निवासी 33/16, मोटर मार्केट, सुरतगढ रोड श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से तथा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25/1 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा = 0.038 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1(0.202 है.), 2(0.228 है.), 3(0.132 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 8(0.146 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 9(0.253 है.), 10(0.228 है.) = 1.189 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.063 है. गै. मु. खाला कुल 1.290 है. (1.227 है. नहरी + 0.063 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि रवीना पत्नी श्री सुधीर कुमार जाति जाट निवासी मकान नम्बर 03, वार्ड नम्बर 30, यूआईटी के पास, सरस्वती नगर श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से तथा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 7/1(0.202 है.), 7/2(0.051 है. खाला), 8/1(0.228 है.), 8/2(0.025 है. खाला), 9, 10(प्रत्येक में 0.253 है.), 11 से 14(प्रत्येक में 0.228 है.) 15/1(0.203 है.), 15/2(0.025 है. खाला), 16(0.013 है. उत्तरी हिस्सा), 17(0.012 है. उत्तरी हिस्सा), 18(0.013 है. उत्तरी हिस्सा), 19(0.012 है. उत्तरी हिस्सा), 20(0.013 है. उत्तरी हिस्सा) = 2.468 है. (2.367 है. नहरी + 0.101 है. खाला), मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 13 की 0.0016 है. दक्षिणी कोना, व मुरब्बा नम्बर 52/8 के कि.न. 0 में कि.न. में 0 0.126 है. गै. मु. खाला कुल 2.5956 है. (2.3686 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.126 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि में धर्मपाल पुत्र मदनलाल 1.275 है., विद्यादेवी पत्नी मदनलाल 0.045 है., सुभाष पुत्र मदनलाल 1.2756 है. जाति जाट साकिन शिवपुर फतूही तह. श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से अलग अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं शेष मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 17(0.241 है. दक्षिणी हिस्सा), 18(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 19(0.241 है. दक्षिणी हिस्सा), 20(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 21 ता 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.467 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 17/2(0.101 है.), 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(0.228 है.), 21(0.202 है.), 22 से 24 (प्रत्येक में 0.228 है.), 25/1 (0.038 है. पश्चिमी हिस्सा) = 1.759 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5(0.215 है. पूर्वी हिस्सा), 6(0.241 है. पूर्वी हिस्सा), 15(0.240 है. पूर्वी हिस्सा) =



सहायक कलेक्टर ए  
जयपाल दण्डनार  
(का. 01 ट्रेक) श्रीगंगानगर

0.696 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.025 है. गै.मु. खाला = 4.947 है.(4.922 है. नहरी + 0.025 है. गै.मु.खाला) में से सिद्धार्थ पुत्र सुरेन्द्र कुमार 2.480 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरंगराम 2.467 है. जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) का अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकीन) एवं ऋण भार की स्थिती पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)

सहायक वकिल (राजस्व ट्रेक)

कार्यालय श्रीगंगानगर

( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

डिक्री  
(Order 20 rule 6-7CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी:- स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस  
अनवान:- राजस्व वाद प्रकरण संख्या 05/2024

1. श्रीमती चंद्रकला पत्नी श्री अजय कुमार जांडु जाति जाट उम्र 40 वर्ष  
निवासी 33/16, मोटर मार्केट, सूरतगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर (राज0) ....वादिया

बनाम

1. श्रीमती रवीना पत्नी श्री सुधीर कुमार जाति जाट निवासी मकान नम्बर 03,  
वार्ड नम्बर 30, यूआईटी के पास, सरस्वती नगर, श्रीगंगानगर (राज0)
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरंगराम जाति जाट निवासी शिवपुरफतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर(राज0)
3. सिद्धार्थ पुत्र श्री सुरेन्द्र जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर (राज0)
4. धर्मपाल पुत्र श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
5. विद्या देवी पत्नी श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. सुभाष पुत्र श्री मदनलाल कौम जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)  
.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी, एडवोकेट, .....वादिया
2. श्री विजय कुमार भाटी एडवोकेट .....प्रतिवादी सं. 1, 4, 5  
व 6 की ओर से
3. पैरोकार राज .....प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक:- 27.02.2025

वाद पत्र संख्या 05/2024  
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 के अधिवक्ता विजय कुमार भाटी एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:-

वाद वादिया एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1, 4 से 6 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर चक 4 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2070-2073 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 79/53 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 30, 52/8, 52/16 की कुल 10.097 हैक्टेयर ( 0.744 है. चदरी + 0.101 है. खाला + 0.252 है. गै. मु. खाला) कृषि

भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 3(0.096 है. पूर्वी हिस्सा), 4(0.228 है.), 5(0.013 है. पश्चिमी हिस्सा), 6(0.012 है. पश्चिमी हिस्सा), 7 (0.253 है.), 8(0.107 है. पूर्वी हिस्सा), 13(0.2514 है.), 14(0.253 है.), 15(0.013 है. पश्चिमी हिस्सा) = 1.2264 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.038 है. गै. मु. खाला कुल 1.2644 है. (1.2264 है. नहरी + 0.038 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि वादिया श्रीमती चंद्रकला पत्नी श्री अजय कुमार जांडु जाति जाट निवासी 33/16, मोटर मार्केट, सूरतगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से तथा मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 25/1 की 0.038 है. पूर्वी हिस्सा = 0.038 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1(0.202 है.), 2(0.228 है.), 3(0.132 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 8(0.146 है. पश्चिमी हिस्सा बट से चिपता), 9(0.253 है.), 10(0.228 है.) = 1.189 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.063 है. गै. मु. खाला कुल 1.290 है. (1.227 है. नहरी + 0.063 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि खीना पत्नी श्री सुधीर कुमार जाति जाट निवासी मकान नम्बर 03, वार्ड नम्बर 30, यूआईटी के पास, सरस्वती नगर श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से तथा मुरब्बा नम्बर 7 के

किला नम्बर 1(0.253 है.), 7/1(0.202 है.), 7/2(0.051 है. खाला), 8/1(0.228 है.), 8/2(0.025 है. खाला), 9, 10(प्रत्येक में 0.253 है.), 11 से 14(प्रत्येक में 0.228 है.) 15/1(0.203 है.), 15/2(0.025 है. खाला), 16(0.013 है. उतरी हिस्सा), 17(0.012 है. उतरी हिस्सा), 18(0.013 है. उतरी हिस्सा), 19(0.012 है. उतरी हिस्सा), 20(0.013 है. उतरी हिस्सा) = 2.468 है. {2.367 है. नहरी + 0.101 है. खाला), मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 13 की 0.0016 है. दक्षिणी कोना), व मुरब्बा नम्बर 52/8 के कि.न.0 में 0.126 है. गै. मु. खाला कुल 2.5956 है. (2.3686 है. नहरी + 0.101 है. खाला + 0.126 है. गै. मु. खाला) कृषि भूमि में धर्मपाल पुत्र मदनलाल 1.275 है., विद्यादेवी पत्नी मदनलाल 0.045 है., सुभाष पुत्र मदनलाल 1.2756 है. जाति जाट साकिन शिवपुर फतुही तह. श्रीगंगानगर (राज0) के नाम से अलग अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं शेष मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 17(0.241 है. दक्षिणी हिस्सा), 18(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 19(0.241 है. दक्षिणी हिस्सा), 20(0.240 है. दक्षिणी हिस्सा), 21 ता 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.467 है. नहरी, मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 17/2(0.101 है.), 18, 19 (प्रत्येक में 0.253 है.), 20(0.228 है.), 21(0.202 है.), 22 से 24 (प्रत्येक में 0.228 है.), 25/1 (0.038 है. पश्चिमी हिस्सा) = 1.759 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 5(0.215 है. पूर्वी हिस्सा), 6(0.241 है. पूर्वी हिस्सा), 15(0.240 है. पूर्वी हिस्सा) = 0.696 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/16 के कि.न. 0 में 0.025 है. गै. मु. खाला = 4.947 है. (4.922 है. नहरी + 0.025 है. गै. मु. खाला) में से सिद्धार्थ पुत्र सुरेन्द्र कुमार 2.480 है., सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नोरंगराम 2.467 है. जाति जाट निवासीयान शिवपुर फतुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) का अलग लगान कायम किया जावे।


खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज0) के कार्यापालक दण्डनायक (श्रीगंगानगर) के देखे। श्रीगंगानगर

आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रुपये ..... न्यून ..... वास्ते ..... न्यून ..... खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय पर मय ब्याज ..... न्यून ..... दर ..... वा कि ..... न्यून ..... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
वकील जुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त जुल्क	00.00
आयुक्त जुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

यह कि डिक्री आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (स्वाती गुप्ता)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 सदर्यक कलक्टर एच ट्रैक  
 श्रीगंगानगर।  
 कार्यालयिक दण्डनायक  
 ( फास्ट ट्रैक ) श्रीगंगानगर